वर्ष: 01 अंक: 04

एक कदम पारदर्शिता की ओर

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

न्यूजलेटर - अगस्त - 2021

National Commission For Scheduled Castes

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi-110 003

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

न्यूजलेटर

वर्षः 01 अंकः 04 अगस्त 2021

संपादक

राजेश रंजन सिंह

ई–मेल : singh.rr9@gmail.com

@srajeshranjan

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा अब हर माह न्यूजलेटर का प्रकाशन किया जा रहा है। आयोग की ओर से इस माह चौथा अंक प्रकाशित किया जा रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग लगातार अपने इस न्यूजेलेटर के माध्यम से लोगों तक यह संदेश पहुंचाना चाहता है कि आयोग अनुसूचित जाति के लोगों के साथ न्याय कर उन्हें सामाजिक स्वतंत्रता और न्याय दिलाने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। इस अंक में हमने पिछले माह में घटित कई बड़ी घटनाओं का जिक्र किया है जिसमें आयोग ने एक अहम भूमिका निभाई। धन्यवाद

(संपादक)

किसी भी प्रकार के सुझाव और शिकायतों के लिये संपर्क करें:

011 - 24620435 & 24606802

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

भारत सरकार

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi - 110003

website: http://ncsc.nic.in

ऑनलाइन शिकायत यहां दर्ज करें:

https://ncsc.negd.in/

National Commission for Scheduled Castes

SHRI VIJAY SAMPLA
CHAIRMAN

SHRI ARUN HALDER
VICE-CHAIRMAN

DR. ANJU BALA
MEMBER

SHRI SUBHASH RAMNATH
PARDHI, MEMBER

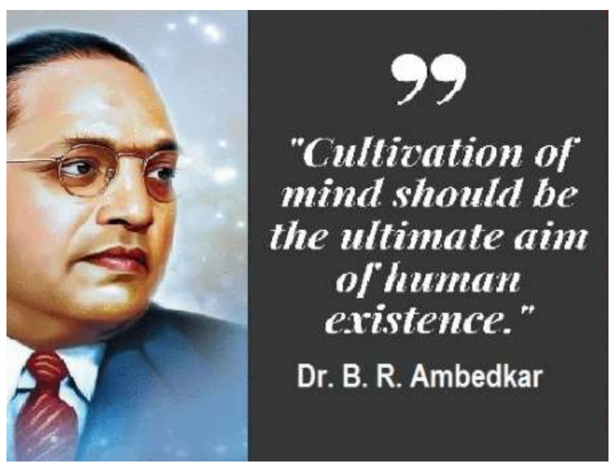

@NCSC_GoI @NCSC.GoI @ncsc_goi

माननीय अध्यक्ष का सन्देश

विजय सांपला

अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा प्रकाशित न्यूजलेटर के चौथे अंक के विमोचन के लिए यह संदेश लिखते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। आयोग लगातार अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में स्पॉट विजिट से लेकर आयोग मुख्यालय में जनसुनवाई तक कर रहा है। आयोग का फोकस सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने पर है। इसे पूरा करने के लिए आयोग की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

आयोग का मकसद है कि अनुसूचित जाति के लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके, इसके लिए आयोग का प्रयास रहता है कि ऐसे मामलों को निपटाया जाए जो सालों से लंबित पड़े हैं। बीते माह भी अनुसूचित जाति के लोगों के साथ कई ऐसी घटनाएं घटी, जो यह बताने के लिए काफी थी कि आज के दौर में भी समाज में कितना भेदभाव है। ऐसी घटनाओं पर आयोग ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की ताकि पीड़ितों को न्याय भी मिले और समाज में बदलाव लाने का संदेश भी फैले।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग समाज के हाशिये पर खड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और आयोग का प्रयास रहेगा कि दूरस्थ गांव से लेकर शहर तक के प्रत्येक अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव या अन्याय न होने पाए। न्यूज लेटर के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि लोगों तक आयोग द्वारा लिए गए फैसलों और गतिविधियों के बारे में जानकारी समय–समय पर पहुंचती रही। आयोग ठीक से काम करता रहे, इसके लिए आशा है कि आपका सहयोग मिलता रहेगा।

जय हिंद !

सादर धन्यवाद

विजय सांपला
@thevijaysampla

महाराष्ट्र की आधिकारिक यात्रा

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने अगस्त माह में महाराष्ट्र का दो दिवसीय आधिकारिक दौरा किया। अपने आधिकारिक दौरे के दौरान माननीय अध्यक्ष ने सामाजिक न्याय विभाग महाराष्ट्र के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सामाजिक न्याय विभाग महाराष्ट्र के अधिकारियों ने माननीय अध्यक्ष के समक्ष राज्य के अनुसूचित वर्ग के लोगों से संबंधित समस्याओं को रखा। समस्याओं को सुनने के बाद माननीय अध्यक्ष ने इन समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने एससी इंप्लाएज ऑफ बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। बेस्ट के प्रतिनिधियों ने भी माननीय अध्यक्ष को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस पर अध्यक्ष महोदय ने सभी को आश्वस्त किया कि राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों व कर्मचारियों को आ रही समस्याओं का निदान करने का भरसक प्रयास आयोग द्वारा किया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि भविष्य में भी आयोग का यह प्रयास रहेगा कि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ सालों से चली आ रही समस्याएं दोहराई न जाएं। मुंबई दौरे के दौरान माननीय अध्यक्ष ने दादर स्थित भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की समाधि स्थल चैत्यभूमि के पावन दर्शन किए। इसके अलावा वह राजगृह में अंबेडकर जी के घर व स्मारक जाकर भी नमन किया जहां बाबा साहेब 15–20 वर्षों तक रहे।

9 साल की बच्ची से बलात्कार, हत्या और जबरन दाह संस्कार मामले में आयोग ने किया दौरा

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने दिल्ली के नांगल राया इलाके में नौ साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के संबंध में ट्विटर पर रिपोर्ट की गई घटना का संज्ञान लिया। माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला के निर्देशानुसार, माननीय उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार की अध्यक्षता वाली टीम ने घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान आयोग की माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला, माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी, निदेशक व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। पीड़िता के अभिभावकों से मुलाकात के बाद आयोग की टीम ने एरिया डीएम, डीसीपी (दक्षिण–पश्चिम) समेत जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। आयोग की सिफारिश पर मामले में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अधिनियम और पोस्को अधिनियम लागू किया गया। एरिया डीएम को एससी/एसटी पीओए नियम 2016 (संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा जारी करने की सलाह दी गई। आयोग ने सचिव, एससी/एसटी विभाग, दिल्ली सरकार के साथ भी एक बैठक की। इसके बाद यह सुनिश्चित कराया गया कि नियमानुसार पीड़िता के परिवार को तत्काल मुआवजा दिया जायेगा।

गुंटूर जिले में इंजीनियरिंग की छात्रा की हत्या

आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में इंजीनियरिंग की छात्रा की हत्या की घटना का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार, सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी एवं सदस्या डॉ. अन्जू बाला ने स्पॉट विजिट किया एवं पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही राज्य में अनुससूचित जाति के लोगों के प्रति बढ़ रही अत्याचार की घटनाओं को लेकर आयोग की टीम ने चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री श्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी भी जुड़े।

बाराबंकी में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की माननीय सदस्या डॉ अन्जू बाला जी ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या के मामले में स्पॉट विजिट किया। माननीय सदस्या ने आरोपियों की तुरंत गिरफ़्तारी के लिए प्रसाशनिक अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए एवं पीड़ित परिवार को 4.5 लाख की मुआवजा राशि प्रदान की।

मासूम के साथ बलात्कार, मौके पर पहुंची आयोग टीम

पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम ने उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार जी के नेतृत्व में माननीय सदस्य श्री सुभाष पारधी जी एवं अन्य अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। आयोग ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए। साथ ही पीड़ित को उचित इलाज दिलाने व पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के लिए आश्वस्त किया।

दलित नेता के साथ मारपीट व भद्दी जाति सूचक कहे जाने का मामला

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने हैदराबाद में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान एक दलित नेता के साथ अमानवीय मारपीट करने और भद्दी जाति सूचक शब्द कहे जाने के मामले में कड़ा संज्ञान लिया। इस संबंध में माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला के निर्देशानुसार माननीय उपाध्यक्ष श्री अरूण हालदार जी ने हैदराबाद का दौरा किया। इस दौरान माननीय उपाध्यक्ष ने उस स्थान का दौरा किया जहां पर यह घटना घटी। साथ ही अस्पताल का भी दौरा करेंगे, जहां पर जख्मी दलित नेता भर्ती थे।

संज्ञान

बिहार में 3 साल से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल खराब, हजारों दलित छात्र वंचित

बिहार में सरकारी लापरवाही की वजह से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन अपलोड नहीं होने के कारण तीन साल से बिहार के एससी–एसटी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। मीडिया में आई खबरों में बताया गया कि सरकार की ओर से पोर्टल में तकनीकी खामी के चलते ऐसा हुआ। इसकी वजह से अनुसूचित जाति के छात्रों को काफी परेशानी हो रही है। हाल ये है कि इस स्कॉलरशिप के भरोसे कर्ज लेकर पढ़ाई करने वाले छात्र कर्ज के बोझ तले दब गए हैं। इस खबर पर संज्ञान लेते हुए आयोग अध्यक्ष ने बिहार सरकार को इस पर जल्द कार्रवाई करते हुए दोषियों को चिन्हित कर उचित कार्रवाई करने और कार्रवाई की जानकारी आयोग को भेजने का निर्देश दिया।

ओलंपिक स्टार के परिवार के साथ जातिसूचक टिप्पणी आयोग ने मांगी रिपोर्ट

टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से हारने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य वंदना कटारिया के परिवार के साथ कथित तौर पर गाली–गलौच तथा जातिसूचक टिप्पणी करने संबंधी खबरें मीडिया में आई। मीडिया में आई खबरो के आधार पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इस खबर को बड़ी ही गंभीरता से लिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री वियज सांपला जी ने इस खबर को अति दुर्भाग्यपूर्ण कहा।

दलित सरपंच के साथ सचिव ने झंडा फहराने को लेकर की मारपीट,

आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस

मध्यप्रदेश में दलित सरपंच द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के मामले पर परिवार के सदस्यों की पिटाई के मामले पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया। आयोग अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने इस मामले पर मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी व डीजीपी को नोटिस जारी कर तुरंत एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने को कहा। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने पर तैश में आए ग्राम सचिव द्वारा सरपंच व उसके परिवार से मारपीट किए जाने के आरोप लगे। इस मामले पर आयोग को प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के छतरपुर के ओरछा रोड के गांव धामची के सरपंच अन्नू बसोर द्वारा 15 अगस्त को गांव में आजादी दिवस के संबंध में एक प्रोग्राम करवाया गया, जिसमें झंडा फहराने की रस्म ग्राम सचिव सुनील तिवारी को बतौर मुख्यातिथि अदा करनी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्राम सचिव प्रोग्राम में समय पर नहीं पहुंचे। प्रोग्राम में मौजूद गणमान्य व्यक्तियों व गांव वालों के आग्रह पर उनके द्वारा झंडा फहराने की रस्म अदा कर दी गई। इस बात को लेकर तैश में ग्राम सचिव ने सार्वजनिक स्थल पर चल रहे प्रोग्राम के बीच ही उनके व परिवार साथ मारपीट की तथा उनको जाति–सूचक शब्द भी बोले।

स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने को लेकर दलितों के साथ हिंसा

दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराने को लेकर दलितों के साथ सवर्णों द्वारा की गई हिंसा का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर तुरंत एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, डीएम और डीसीपी से इस मामले में तुरंत जवाब मांगा।

आईटीबीपी के कमांडेंट के मामले की सुनवाई

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने आईटीबीपी के कमांडेंट आर के तोमर से संबंधित मामले की सुनवाई आयोग मुख्यालय नई दिल्ली में की। इस मामले की सुनवाई की अध्यक्षता माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने की। इस दौरान आयोग के उपाध्यक्ष माननीय श्री अरूण हालदार, माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला, माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी, आयोग के निदेशक व अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मामले में सुनवाई के लिए आईटीबीपी के डीजी, गृह मंत्रालय के सचिव को तलब किया गया था। आयोग ने मामले में न्यायोचित कार्यवाही करते हुए सम्बंधित अधिकारियो को निर्देशित किया।

गंभीर मामले की सुनवाई

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मुख्यालय में एक गंभीर मामले की सुनवाई करते हुए माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला। इस दौरान प्रार्थी, संबंधित विभागों के अधिकारी व आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

पुराने केस में सफल निर्णय

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग उपाध्यक्ष माननीय श्री अरूण हालदार जी ने कई मामलों में जन सुनवाई की। इस मौके पर प्रसार भारती के ए.डी.जी, यूनाइटेड इंडिया इंस्यूरेंस, एयर इंडिया व दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान एक पुराने केस में सफलता पूर्वक निर्णय भी हुआ।

क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में जनसुनवाई

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला जी ने आयोग के राज्य कार्यालय लखनऊ में आए हुए व्यक्तियों की समस्याओं से अवगत होकर शिकायती पत्रों पर संज्ञान लेते हुए न्यायोचित कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारिओं को निर्देश दिया।

क्षेत्रीय कार्यालय पुणे में जनसुनवाई

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी जी ने आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय पुणे में जन समस्याएं सुनीं। इसके बाद माननीय सदस्य ने उनकी समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए न्यायोचित कार्यवाही कर मामलों को निस्तारण किया।

खबरों में आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने 9 साल की बच्ची से बलात्कार, हत्या और जबरन दाह संस्कार मामले मे स्वत-लिया संज्ञान

बच्ची के परिवार से मिला आयोग टीम

महेंद्र सिंह / पब्लिक वार्ता

इस दौरान आयोग की माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला, माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी, निदेशक व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने दिल्ली के नांगल राया इलाके में नौ साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के संबंध में ट्विटर पर रिपोर्ट की गई घटना का संज्ञान लिया है। माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला के निर्देशानुसार, माननीय उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदर की अध्यक्षता वाली टीम ने घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान आयोग की माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला, माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी, निदेशक व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। आयोग की टीम ने बच्ची के माता-पिता से भी मुलाकात की। बच्ची के माता-पिता ने आयोग को बताया कि पूरी घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना के समय मेरी बेटी श्मशान से पानी लेने गई थी। लेकिन कुछ समय बाद ही उन्हें घटना की जानकारी मिली कि उनकी बेटी की मौत के बाद जला दिया गया है। माता-पिता ने बताया कि उनकी बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और पुजारी ने यह झूठ बोलकर उसका जबरन अंतिम संस्कार करा दिया कि उसकी मौत बिजली का करंट लगने से हुई है। पीड़िता के अभिभावकों ने दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। इस पर माननीय उपाध्यक्ष ने दोषियों को सजा दिलाने का भरोसा दिलाया।

पीड़िता के अभिभावकों से मुलाकात के बाद आयोग की टीम ने एरिया डीएम, डीसीपी (दक्षिण-पश्चिम) समेत जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। आयोग की सिफारिश पर मामले में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अधिनियम और पोस्को अधिनियम लागू किया गया था। एरिया डीएम को एससी/एसटी पीओए नियम 2016 (संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा जारी करने की सलाह दी गई थी। आयोग ने सचिव, एससी/एसटी विभाग, दिल्ली सरकार के साथ भी एक बैठक की। इसके बाद यह सुनिश्चित कराया गया कि नियमानुसार पीड़िता के परिवार को तत्काल मुआवजा दिया जायेगा।

पब्लिक वार्ता

NCSC take takes suo-moto cognizance of 9 yrs raped & killed case

TSN/New Delhi:

The National Commission for Scheduled Castes took sou-moto-congnizance of the incident reported on the twitter regarding rape and murder of a 9 year old girl at shamshan ghat, old Nangal Raya.

On the direction of Chairman Vijay Sampla, A team of the commission headed by Hon'ble Vice Chairman Sh. Arun Haldar, Member Dr. Anju Bala, Member Subhash Ramnath Pardhi, Director and other senior Officials went on spot visit in the matter.

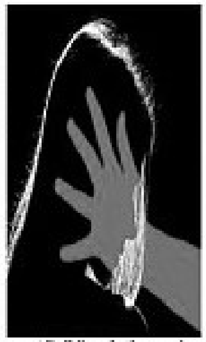

Team met the parents of the deceased child. They informed that a priest at the cremation ground coerced them to cremate her body, and the mother also alleged that she suspects her daughter was raped before being killed. Family of the deceased girl demanded that the culprits be punished at the earliest. The Vice Chairman assured the family that culprits will be punished at the earliest.

After the meeting with parents, the team of the commission met DM, DCP (South west Delhi) and other senior officials of district administration. On the recommendation of the commission, Prevention of Atrocities (POA) Act and POCSO Act was invoked in the matter. The DM was advised to release the compensation as per provisions of SC/ST POA rules 2016 (as amended). A meeting was also held with the Secretary, Department of SC/ST, Delhi Govt. The Secretary assured that compensation will be provided to the family of the victim immediately as per rules.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी घटना पर लिया संज्ञान

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने दिल्ली के नांगल राया इलाके में नौ साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के संबंध में ट्विटर पर रिपोर्ट की गई घटना का संज्ञान लिया है। अध्यक्ष विजय सांपला के निर्देशानुसार उपाध्यक्ष अरुण हालदर की अध्यक्षता वाली टीम ने घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान आयोग की सदस्या डॉ. अंजू बाला, सुभाष रामनाथ पारधी, निदेशक व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। आयोग की टीम ने बच्ची के माता-पिता से भी मुलाकात की। बच्ची के माता-पिता ने आयोग को पूरी घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना के समय मेरी बेटी श्मशान से पानी लेने गई थी। पीड़िता के अभिभावकों से मुलाकात के बाद आयोग की टीम ने एरिया डीएम, डीसीपी (दक्षिण-पश्चिम) समेत जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। आयोग की सिफारिश पर मामले में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अधिनियम और पोस्को अधिनियम लागू किया गया था। एरिया डीएम को एससी/एसटी पीओए नियम 2016 (संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा जारी करने की सलाह दी गई थी। आयोग ने सचिव, एससी/एसटी विभाग, दिल्ली सरकार के साथ भी एक बैठक की। इसके बाद यह सुनिश्चित कराया गया कि नियमानुसार पीड़िता के परिवार को तत्काल मुआवजा दिया जायेगा।

पीड़ित परिवार से मिला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग का दल, न्याय का भरोसा दिया

आयोग अध्यक्ष के निर्देश पर किया गया दौरा

नई दिल्ली, 4 अगस्त (नवोदय टाइम्स): राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने दिल्ली के नांगल राया इलाके में नौ साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के संबंध में ट्विटर पर रिपोर्ट की गई घटना का संज्ञान लिया है। अध्यक्ष विजय सांपला के निर्देशानुसार, उपाध्यक्ष अरुण हालदर की अध्यक्षता वाली टीम ने घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान आयोग की सदस्या डॉ. अंजू बाला, सदस्य सुभाष रामनाथ पारधी, निदेशक व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

आयोग की टीम ने बच्ची के माता-पिता से भी मुलाकात की। इस दौरान पीड़िता के अभिभावकों ने दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। इस पर उपाध्यक्ष ने दोषियों को सजा दिलाने का भरोसा दिलाया। पीड़िता के अभिभावकों से मुलाकात के बाद आयोग की टीम ने एरिया डीएम, डीसीपी (दक्षिण-पश्चिम) समेत जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। आयोग की सिफारिश पर मामले में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अधिनियम और पोस्को अधिनियम लागू किया गया था। एरिया डीएम को एससी/एसटी पीओए नियम 2016 (संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा जारी करने की सलाह दी गई थी। आयोग ने सचिव, एससी/एसटी विभाग, दिल्ली सरकार के साथ भी एक बैठक की। इसके बाद यह सुनिश्चित कराया गया कि नियमानुसार पीड़िता के परिवार को तत्काल मुआवजा दिया जायेगा।

मुआयना

अनुसूचित आयोग की टीम ने दौरा किया

नई दिल्ली | वरिष्ठ संवाददाता

नांगल राया घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की एक टीम ने बुधवार को घटना स्थल का दौरा किया। आयोग ने ट्विटर पर घटना के रिपोर्ट होने के बाद इसपर स्वतः संज्ञान लिया है।

टीम ने इस पूरी घटना को लेकर घटनास्थल पर दौरा करने के साथ पीड़ित परिवार से भी पूरे मामले की जानकारी ली है। आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला के निर्देश पर अरुण हालदर की अध्यक्षता में आयोग की टीम ने मौके का दौरा किया। आयोग के मुताबिक पीड़िता के माता-पिता ने मुलाकात के दौरान घटना के बारे में भी बताया। आयोग की टीम ने इस मामले में स्थानीय जिलाधिकारी, जिला पुलिस उपायुक्त दक्षिण-पश्चिम व अन्य अधिकारियों से भी मुलाकात की है।

आयोग का कहना है कि उन्होंने ने सचिव, एससी/एसटी विभाग, दिल्ली सरकार के साथ भी एक बैठक की, जिसमें उन्होंने नियमानुसार पीड़िता के परिवार को तत्काल मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

मप्र में कार्यक्रम में अनुसूचित जाति के सरपंच को पीटा

छतरपुर: मप्र में छतरपुर के ग्राम पंचायत धामची में स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के दौरान ग्राम पंचायत के सचिव ने अनुसूचित जाति वर्ग के सरपंच अन्नू बसोर व उसके स्वजन की पिटाई कर दी। इस मामले पर संज्ञान लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने प्रदेश के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर रिपोर्ट देने को कहा है। (नईदुनिया)

NCSC ने दलित परिवारों के साथ सवर्णों द्वारा की गई हिंसा पर दिल्ली पुलिस और सरकार को जारी किया नोटिस!

ByAshik Kumar - August 18, 2021

www.theshudra.com

आपका सहयोग हमें सशक्त बनाएगा

Dalit sarpanch, family members assaulted; NCSC issues notice to MP govt

TSN/New Delhi:

A Dalit sarpanch and his family members were allegedly assaulted and manhandled by an upper caste secretary of the gram panchayat in Chattarpur district of Madhya Pradesh, prompting the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) to send a notice to the state government on Monday.

Taking strong note of the incident which took place in Dhamchi village during the flag hoisting function on Independence Day on Sunday, the NCSC, on the orders of Chairman Vijay Sampla, sought from the Madhya Pradesh government an action taken report (ATR) immediately.

According to the information received by the NCSC, a purported video of the alleged incident has gone viral on social media and picked up by various news websites.

In the clip, Hannu Basor can be seen getting kicked and manhandled by Sunil Tiwari who was upset as the sarpanch had hoisted the tricolour during the Independence Day function, in his absence.

Through the news article published in the online news websites dated August 16, the NCSC got the information that the sarpanch's wife and daughter-in-law were also beaten and attacked by the secretary when they came to his rescue, a statement said.

After the video of the sarpanch's assault went viral, Sampla tweeted from his official Twitter handle and asked the Madhya Pradesh's chief secretary, director general of police as well as the district collector and superintendent of police of Chattarpur to submit the ATR through post or e-mail.

Sampla cautioned the officers that if the ATR is not received, the NCSC might exercise the powers of the civil court conferred on it under article 338 of the constitution and issue summons for their personal appearance before the commission in Delhi.

"This is saddening that the Dalit sarpanch was attacked for hoisting the national flag during the Independence Day function," Sampla said in a tweet in Hindi.

Dalit man kills self over police 'inaction'

4 booked; Sampla seeks report from DC, SSP in 15 days

MUKTSAR, AUGUST 10

A week after submitting a complaint to the police, accusing three men of kidnapping his wife, a 39-year-old old Dalit

Panel: Give kin compensation

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Assuring the family of the 9-year-old girl allegedly raped and murdered at a crematorium in southwest Delhi that those responsible for the crime will be punished at the earliest, the National Commission for Scheduled Castes has asked the state authorities to release the compensation as per the SC/ST provisions of the Prevention of Atrocities Act.

NCSC took suo motu congnisance of the incident based on reports on micro-blogging site Twitter regarding alleged rape and murder of the minor at a crematorium. A team of the commission comprising vice-chairman Arun Haldar and members Dr Anju Bala, Subhash Ramnath Pardhi and senior officials met the parents of the deceased child. In a statement issued after the visit on Wednesday, NCSC said that the parents of the deceased told the commission that a priest at the cremation ground coerced them to cremate her body. The mother also alleged that she suspects her daughter was raped before being killed. Family of the deceased demanded that the culprits be punished at the earliest.

"NCSC vice-chairman assured the family that culprits will be punished at the earliest," it

NCSC issues notice to Delhi govt, asks ATR on flag hosting case

New Delhi

Another inhuman and discriminatory incident came into light in which people of Dalit community were attacked in New Delhi by the members of 'upper caste' while hoisting national flag on the occasion of 75th Independence Day.

The National Commission for Scheduled Castes (NCSC) took strong notice of the incident in which Dalits were attacked for hoisting the Tricolour near a statue of Dr B.R. Ambedkar at Jatav Mohalla in Delhi's Tughlakabad. The Commission, on the orders of Chairman Vijay Sampla, issued notice to the Delhi Govt. and asked the authorities to submit an action taken report, immediately.

As per the information received by the NCSC, the members of the 'upper ... ducted was disputed. After the attack on the Dalit Community, a clash broke out between the two groups, injuring eight people.

Meanwhile, the Commission issued the notice to the Chief Secretary, the Secretary and the Commissioner of Police (Delhi government), District Magistrate and the Deputy Commissioner of Police (South East District, Delhi). While asking the authorities to investigate the matter, the Commission directed them to submit an immediate report through post or email, based on the facts and information on the action taken on the allegations/matter.

Sampla cautioned the officers that if action taken report is not received, then the Commission might ex-

NEWS18 हिंदी | दिल्ली-एनसीआर

NCSC: स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराते समय दलितों पर सवर्णों का हमला, NCSC ने चीफ सेक्रेटरी से तलब की रिपोर्ट

स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराते समय दलितों पर सवर्णों के हमला मामले पर NCSC ने दिल्ली चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजकर रिपोर्ट मांगी है. (File Photo)

Scheduled Castes Commission: स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके के जाटव मोहल्ले में डॉ. बी.आर. अंबेडकर की मूर्ति के पास झंडा फहराने के दौरान दलितों पर हमला किया गया. उच्च जाति के लोगों ने उन पर हमला किया और दुर्व्यवहार भी किया. पता चला है कि जिस जमीन पर झंडा फहराया जाना था, वह विवादित है. दोनों समूहों के बीच हुई झड़प में आठ लोग भी घायल हुये थे. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है.

NEWS18HINDI

नई दिल्ली. स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) पर झंडा फहराने (Flag Hoisting) के दौरान दलित समुदाय के लोगों पर सवर्णों द्वारा किये गये हमले पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes) ने गंभीर संज्ञान लिया है. आयोग के चेयरमैन विजय सांपला की ओर से दिल्ली सरकार (Delhi Government) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

इस मामले में एनसीएससी चेयरमैन ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के अलावा सेक्रेटरी (डिपार्टमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ एससी/एसटी), दिल्ली पुलिस कमिश्नर, डीएम (दक्षिण पूर्व) व डीसीपी (दक्षिण पूर्व जिला) को भी नोटिस जारी कर तुरंत एक्शन टेकन रिपोर्ट (Action Taken Report) पेश करने को कहा है.

ये भी पढ़ें: इंदौर: स्वतंत्रता दिवस समारोह में हुई हिंसक झड़प मामले में 24 पर FIR, 2 लोग गिरफ्तार

आयोग को मिली जानकारी के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके (Tugalkabad Area) के जाटव मोहल्ले (Jatav Mohalla) में डॉ. बी.आर. अंबेडकर (Dr. B.R. Ambedkar) की मूर्ति के पास झंडा फहराने के दौरान दलितों पर हमला किया गया.

Nation Briefs

SCHEDULED CASTES PANEL NOTICE TO MADHYA PRADESH GOVT

NEW DELHI: Taking a note of a tragic incident of assault of a Dalit Sarpanch and his family by an upper-caste secretary of the gram panchayat over flag hoisting in Madhya Pradesh, the National Commission for Scheduled Castes (NCSC), which is led by Chairman Vijay Sampla, has issued notice to the Madhya Pradesh government and asked the authorities to submit an action taken report at the earliest. Reportedly, Hannu Basor, sarpanch of village Dhamchi in Chhatarpur district of the state, was kicked and manhandled by secretary Sunil Tiwari as the sarpanch had hoisted the Tricolour in his absence.

लोकमत हिन्दी

मध्य प्रदेश: स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करने पर दलित सरपंच की पिटाई, अनुसूचित जाति आयोग ने लिया एक्शन

By भाषा | Published: August 16, 2021 08:09 PM

मध्य प्रदेश: स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करने पर दलित सरपंच की पिटाई, अनुसूचित जाति आयोग ने लिया एक्शन

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ग्राम पंचायत के एक उच्च जाति के सचिव द्वारा दलित सरपंच और उनके परिवार के सदस्यों के साथ कथित तौर पर मारपीट किये जाने की घटना को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने सोमवार को राज्य सरकार को एक नोटिस भेजा. स्वतंत्रता दिवस पर रविवार को ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान धामची गांव में हुई इस कथित घटना पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने अपने अध्यक्ष विजय सांपला के आदेश पर मध्य प्रदेश सरकार से फौरन कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) तलब की है.

Submit report in Muktsar Sahib Dalit suicide case, SC panel tells DC, SSP

Chandigarh: National Commission for Scheduled Castes (NCSC) chairman Vijay Sampla on Tuesday sought action taken report from the deputy commissioner and senior superintendent of police of Muktsar by August 25 into the case of a Dalit man committing suicide seven days after giving a written complaint to police against three upper caste men kidnapping his wife.

Sampla sought the report on the basis of a complaint received from the minor daughter of Jagmeet Singh, 39, who hanged himself at his house at Chak Tamkot village of Muktsar district. In her complaint, she named the local police at Lakhewali police station about the matter on July 30, a day prior to the kidnapping, and submitted a written complaint against the accused. Also, the accused had given us regular threats of killing me and my father," reads the complaint. She added that on August 9, her father had met the Muktsar DSP and requested him to trace her mother, but to no avail. A suicide note was recovered from Jagmeet's house on Tuesday, stating that he decided to end his life because of police inaction against the accused.

Sampla said if the officers fail to submit action taken report

9वीं कक्षा में पढ़ती बेटी ने आयोग से मांगा इंसाफ

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने श्री मुक्तसर साहिब के डी.सी. व एस.एस.पी. से मांगा जवाब

श्री मुक्तसर साहिब/होशियारपुर, 10 अगस्त (सलूजा, रोहित/विकास): लापता पत्नी की तलाश में पुलिस व रसूखदारों से प्रताड़ित पति द्वारा आत्महत्या करने के मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने श्री मुक्तसर साहिब के डी.सी. व एस.एस.पी. को नोटिस जारी कर तुरंत एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने को कहा है। 9वीं कक्षा में पढ़ती मृतक की पुत्री महकप्रीत कौर ने आयोग को अपने पिता के सुसाइड नोट के साथ लिखित शिकायत भेजकर इंसाफ की गुहार लगाई है।

विजय सांपला

आयोग को प्राप्त शिकायत के अनुसार मृतक जगमीत सिंह निवासी गांव चक्क तामकोट जिला श्री मुक्तसर साहिब ने अपनी पत्नी की गुमशुदा की शिकायत लक्खेवाली थाने व गांव के सरपंच को दी थी तथा बताया था कि उसकी पत्नी के गुम होने के पीछे गांव के ही कुछ रसूखदार व्यक्तियों, जिनमें खुशबाग सिंह उर्फ भोला धनोआ पुत्र अर्जन सिंह, छिंदरभगवान सिंह उर्फ छिंदा पुत्र संतोख सिंह व आर.एम.पी. डाक्टर गोरा सिंह शामिल है, की साजिश है। शिकायत में महकप्रीत कौर ने आरोप लगाया है कि थाना पुलिस मुलाजिमों द्वारा रसूखदारों की शह पर उसके पिता को इतना प्रताड़ित व मानसिक परेशान किया गया कि वह स्वयं लिखकर दे कि उसकी पत्नी अपनी मर्जी से भागी है। उसने आरोप लगाया कि डी.एस.पी. मलोट व एस.एच.ओ. लक्खेवाली द्वारा रसूखदारों की शह पर सही कार्रवाई न करने के चलते उसके पिता ने आत्महत्या की है तथा पिता ने भी अपने सुसाइड नोट में उक्त आरोपियों का नाम लिखा है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने श्री मुक्तसर साहिब जिले के डिप्टी कमिश्नर तथा एस.एस.पी. को लिखा है कि इस मामले की जांच करके आगामी 7 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करें। यदि आयोग के आदेशों की पालना नहीं होती तो जिला अधिकारियों को नई दिल्ली आयोग की अदालत में तलब किया जाएगा।

epaper.dainiksaveratimes.org

newsd

9-Year-Old Allegedly Raped, Murdered In Delhi, Body Forcibly Cremated: National Commission for Scheduled Castes took suo-moto cognizance

Team met the parents of the deceased child. They informed that a priest at the cremation ground coerced them to cremate her body, and the mother also alleged that she suspects her daughter was raped before being killed.

Published on Thu 05th August 2021, 13:29 PM

The National Commission for Scheduled Castes took suo-moto congnizance of the incident reported on the twitter regarding rape and murder of a 9 year old girl at shamshan ghat, old Nangal Raya.

On the direction of Hon'ble Chairman Sh. Vijay Sampla, A team of the commission headed by Hon'ble Vice Chairman Sh. Arun Haldar, Hon'ble Member Dr. Anju Bala, Hon'ble Member Sh. Subhash Ramnath Pardhi, Director and other senior Officials went on spot visit in the matter.

Team met the parents of the deceased child. They informed that a priest at the cremation ground coerced them to cremate her body, and the mother also alleged that she suspects her daughter was raped before being killed. Family of the deceased girl demanded that the culprits be punished at the earliest. The Hon'ble Vice Chairman assured the family that culprits will be punished at the earliest.

NEWS18 हिंदी | दिल्ली-एनसीआर

Delhi Cantt Girl Case: पीड़ित परिवार से मिली एससी कमीशन की टीम, दोषियों को सजा दिलाने का दिया भरोसा

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम ने नांगल राया इलाके में घटनास्थल का दौरा किया

Delhi Cantt Girl Case: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने दिल्ली के नांगल राया इलाके में 9 साल की एक बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या की घटना पर संज्ञान लिया है. आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला के निर्देश पर उपाध्यक्ष अरुण हलदर की अध्यक्षता वाली टीम ने घटनास्थल का दौरा किया. आयोग की टीम ने बच्ची के माता-पिता से भी मुलाकात की. बच्ची के माता-पिता ने आयोग को पूरी घटना की जानकारी दी.

NEWS18HINDI

दैनिक भास्कर | फिरोजपुर भास्कर 11-08-2021

पत्नी की तलाश में रसूखदारों से प्रताड़ित पति ने की खुदकुशी, बेटी ने मांगा इंसाफ

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मुक्तसर के डीसी और एसएसपी से मांगा जवाब

7 दिन में जवाब न दिया तो दिल्ली किया जाएगा तलब

पिता ने सुसाइड नोट में लिखा था आरोपियों का नाम : महकप्रीत कौर

छठे आयोग की तीसरी बैठक का आयोजन आयोग मुख्यालय में किया गया।
इस बैठक में माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला, माननीय उपाध्यक्ष श्री अरूण हालदार,
माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला व माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी मौजूद रहे।
इस बैठक में आयोग के कामों को लेकर चर्चा की गई।

National Commission For Scheduled Castes

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi-110 003